योगेंद्र प्रताप सिंह

बनाम

सावित्री पांडे और एक अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 605/2012)

सितंबर 19,2014

[आर. एम. लोधा, सीजेआई, कुरियन जोसेफ और आर. एफ. नरिमन, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881- धाराये 138 और 142- चेक का अनादरित होना- चेक जारीकर्ता को दिए जाने वाले आवश्यक नोटिस में निर्धारित 15 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत- की पोषणीयता- अभिनिर्धारित: शिकायत पोषणीय नहीं है- यह कानून की नजर में बिल्कुल भी शिकायत नहीं है- ऐसी शिकायत के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कोई अपराध नहीं किया गया है और न ही कार्रवाई का कारण बनता है।- उपाय यह है कि कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के एक महीने के भीतर एक नई शिकायत दर्ज की

जाए और यदि नहीं, तो धारा 142 (बी) के प्रावधान का लाभ लेने का सहारा लिया जाए, पर्याप्त कारण से न्यायालय को संतुष्ट करते हुये।

संदर्भित प्रश्नों का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने, अभिनिर्धारित किया:

1.1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(डी) 'शिकायत' को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार शिकायत का अर्थ किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से दिया गया गया कोई भी आरोप है। किसी अपराध का होना शिकायत दर्ज करने और ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए अनिवार्य शर्त है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) में निहित प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी अपराध के लिए कोई शिकायत धारा 138 के अंतर्गत दर्ज नहीं की जा सकती है, जब तक कि 15 दिन की अवधि समाप्त न हो जाए। जारी करने वाले / अभियुक्त को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले कोई भी शिकायत कानून की नजर में कोई शिकायत नहीं है। ऐसी शिकायत के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। यह उस शिकायत की अपरिपक्वता का सवाल नहीं है जहां उसे नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दायर किया गया है, यह कानून के तहत कोई शिकायत नहीं है। केवल इसलिए कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के समय, उस तारीख से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है जिस दिन जारी करने वाले/अभियुक्त को नोटिस दिया

गया था, न्यायालय को धरा 138 के अंतर्गत जारीकर्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। [पैरा 36] [49-एफ-एच; 50-ए-ई]

1.2. उस तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत, जिस दिन आहर्ता/अभियुक्त को नोटिस दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के संदर्भ में कार्रवाई के कारण का खुलासा कर सकती है और ऐसी शिकायत पर जो वादकारण का खुलासा नही करती है, न्यायालय संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है। धारा 138 का एक संयुक्त पाठ, जो परिभाषित करता है कि कब और किन परिस्थितियों में कोई अपराध किया गया कहा जा सकता है, एनआई अधिनियम की धारा 142 (बी) के साथ, जो समय के बिंदु की स्थिति को दोहराता है जब, कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कोई भी अपराध तब तक नहीं किया गया कहा जा सकता जब तक कि धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत निर्धारित 15 दिनों की अवधि वास्तव में समाप्त न हो जाए। इसलिए, कानूनन किसी अदालत को ऐसी शिकायत पर संज्ञान लेने से रोक दिया गया है। इस तरह की शिकायत पर संज्ञान लेना न्यायालय के लिए केवल इसलिए खुला नहीं है क्योंकि उस पर विचार करने या संज्ञान लेने की तारीख को उस तारीख से 15 दिन की अवधि है, जिस दिन

आहर्ता/अभियुक्त को नोटिस दिया गया है, समाप्त हो गई है। नोटिस प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले चेक जारीकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि चेक जारीकर्ता/अभियुक्त ने कोई अपराध किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए एनआई अधिनियम की धारा 138 की सभी पांच आवश्यक विशेषताओं को पूरा किया जाना चाहिए। यदि धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) में निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो वहां यह कोई अपराध नहीं है और न ही धारा के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण बनता है। एनआई अधिनियम की धारा 138. [पैरा 37,39] [50-एफ-एच; 51-ए-बी, जी-एच; 52-ए]

1.3. धारा 142 तरीका निर्धारित करती है और साथ ही वह समय भी निर्धारित करती है जिसके भीतर धारा 138 के तहत अपराध की शिकायत प्रस्तुत की जाती है। चेक प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा धारा 138 के तहत की गई शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए और उस तारीख से एक महीने के भीतर की जानी चाहिए, जिस पर धारा 138 प्रावधान के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। धारा 142(बी) के तहत एक महीने की अवधि उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। हालांकि, यदि शिकायतकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास एक महीने

की निर्धारित अवधि के भीतर एक शिकायत न करने का पर्याप्त कारण है, निर्धारित अवधि के बाद एक शिकायत पर न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा सकती है। चूंकि 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, चेक प्राप्तकर्ता या धारक आपराधिक मामले में निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर एक नई शिकायत दर्ज कर सकता है और उस स्थिति में, शिकायत दर्ज करने में देरी को एनआई अधिनियम की धारा 142 के खंड (बी) के प्रावधान के तहत माफ किया गया माना जाएगा। [पैरा 42] [52-डी-जी]

सारावइन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम लॉयड्स रजिस्टर ऑफ शिपिंग इंडियन ऑफिस स्टाफ प्रोवीडेंट फंड एंव एक अन्य 2007 (10) एससीआर 1110: (2007) 14 एस. सी. सी. 753- अनुमोदित।

नरसिंह दास तपडिया बनाम गोवर्धन दास परतानी और एक अन्य 2000 (3) पूरक एससीआर 171: (2000) 7 एससीसी 183- अस्वीकृत

राकेश नेमकुमार पोरवाल बनाम नारायण ढोंडू जोगलेकर और एक अन्य 1993 क्रिमिनल लॉ जर्नल 680; अशोक वर्मा बनाम रितेश एग्रो प्रा. लिमिटेड और एक अन्य (1995) 1 बैंक सी. एल. आर. 103; एन. वेंकट शिवराम प्रसाद बनाम मेसर्स राजेश्वरी कंस्ट्रक्शंस 1996 क्रि. एल. जे. 3409; अशोक हेगड़े बनाम जतिन बनाम अट्टावन 1997 क्रिल एल. जे.

3691; श्री निरंजन साहू बनाम मेसर्स उत्कल सेनेटरी, बी. बी. एस. आर. 1998 (3) अपराध 188; मेसर्स गुरप्रीत होजरी रेहारी बनाम नीतू महाजन 2000 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3625; अरुण हेगड़े और अन्य बनाम एम. जे. शेट्टी आईएलआर 2001 कर्नाटक 3295; श्रीमती. हेम लता गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश और एक अन्य 2002 क्रिमिनल लॉ जर्नल. 1522; महेंद्र अग्रवाल बनाम गोपी राम महाजन आरएलडब्ल्यू 2003 (1) राज। 673; बापूलाल बी. कच्छी बनाम क्रुपचंद जैन 2004 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1140; यूनुस खान बनाम मजहर खान 2004 (1) जी. एल. टी. 652; जेनिथ फैशन मेकर्स (पी) लिमिटेड बनाम चरम फैशन बनाम यू. पी. और अन्य राज्य 2005 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3681; एस. जनक सिंह बनाम प्रितपाल सिंह 2007 (2) जेकेजे 91; संदीप गुहा बनाम शक्तिपाड़ा घोष एवं एक अन्य 2008(3) सीएच एन 214; रतन चंद बनाम कंवर रामकृपाल एवं एक अन्य 2010 क्रिमिनल लॉ जर्नल 706; मैसर्स कुसुम इनगोटस एवं अलॉय लिमिटेड बनाम मैसस्र पेन्नार पीटरसन सिक्योरिटीज लिमिटेड और अन्य आदि आदि 2000 (1) एससीआर 1120: (2000) 2 एससीसी 745; के. आर. इंदिरा बनाम डॉ. जी. आदिनारायण 2003 (4) पूरक एससीआर 535: (2003) 8 एस. सी. सी. 300- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

1993 क्रि. लॉ जर्नल 680 उल्लेख किया गया पैरा 10

(1995) 1 बैंक		
सी. एल. आर. 103	उल्लेख किया गया	पैरा 11
1996 क्रि. एल. जे. 3409	उल्लेख किया गया	पैरा 11
1997 क्रि. लॉ. जे. 3691	उल्लेख किया गया	पैरा 11
1998 (3) अपराध 188	उल्लेख किया गया	पैरा 11
2000 क्रि. लॉ जर्नल 3625	उल्लेख किया गया	पैरा 11
आई. एल. आर. 2001		
कर्नाटक 3295	उल्लेख किया गया	पैरा 20
2002 कि. लॉ जे 1522	उल्लेख किया गया	पैरा 21
आरएलडब्ल्यू 2003 (1)		
राज 673	उल्लेख किया गया	पैरा 22
2004 क्रि. एल. जे. 1140	उल्लेख किया गया	पैरा 23
2004 (1) जीएलटी 652	उल्लेख किया गया	पैरा 24
121 (2005) डीएलटी 297	उल्लेख किया गया	पैरा 25
2005 क्रि. एल जे 3681	उल्लेख किया गया	पैरा 26
2007 (2) जेकेजे 91	उल्लेख किया गया	पैरा 28
2008 (3) सीएचएन 214	उल्लेख किया गया	पैरा 30

2010 क्रि. लॉ जे. 706	उल्लेख किया गया	पैरा 30
2000 (1) एससीआर 1120	उल्लेख किया गया	पैरा 32
2003(4) पूरक एससीआर 535	उल्लेख किया गया	पैरा 34
2000 (3) पूरक एससीआर 171	अस्वीकृत	पैरा 38
2007 (10) एससीआर 1110	स्वीकृत	पैरा 39

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 605/ 2012

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आपराधिक विविध प्रार्थना पत्र संख्या 773/2009 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.5.2010 से।

साथ

आपराधिक अपील संख्या- 1924 & 1925/2014

शकील अहमद सैयद, मोहम्मद परवेज डबास उजमी जमील हुसैन, दानिश अहमद सैयद, सुरेशन पी., संजय सिंह, उग्रशंकर प्रसाद अपीलार्थी के लिए।

जे. एन. दुबे, अनुराग दुबे, मनीष दुबे, एस. आर. सेतिया, सुभाशीष भौमिक, नितिन एस. तंबवेकर, बी. एस. साई, के. राजीव; प्रतिवादीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय आर. एम. लोधा, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. 03.04.2012 के आदेश में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5761 /2010 में अनुमति दी। न्यायालय ने विचार के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न तैयार किए:

(i) क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान चेक जारीकर्ता को दिए जाने वाले नोटिस में उपरोक्त अधिनियम की धारा 138 (सी) के संदर्भ में निर्धारित 15 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत के आधार पर लिया जा सकता है? और,

(ii) यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या शिकायतकर्ता को इस तथ्य के बावजूद भी शिकायत दोबारा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है कि ऐसी शिकायत दर्ज करने के लिए धारा 142 (बी) के तहत निर्धारित एक महीने की अवधि समाप्त हो गई है?

2. उस आदेश में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 ("एनआई अधिनियम") की धारा 138 और धारा 142 पर ध्यान दिया और इस न्यायालय के दो निर्णयों का भी उल्लेख किया, अर्थात्, (1) नरसिंह दास तापड़िया और (2) सारावइन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। बेंच ने कलकत्ता, उड़ीसा, बॉम्बे, पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इलाहाबाद, गौहाटी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक के उच्च

न्यायालयों के फैसलों पर भी गौर किया और कहा कि न्यायिक राय पर पहला प्रश्न देश में उच्च न्यायालयों के बीच विभाजित था और इसी प्रकार नरसिंह दास तापडिया और सारावइन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में इस न्यायालय के दो निर्णय भी। यहां तक कि दो उच्च न्यायालयों, अर्थात् जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक के बीच भी, बेंच ने देखा कि पहले प्रश्न पर निर्णय एक समान नहीं थे। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने महसूस किया कि न्यायिक घोषणाओं में विरोधाभास को आधिकारिक रूप से हल करने की आवश्यकता है और तदनुसार, उपरोक्त दो प्रश्नों को इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को विचार के लिए भेजा गया।

3. इस तरह मामला हमारे सामने रखा गया है।

4. तथ्यों को विस्तार से बताना जरूरी नहीं है। रेफरल क्रम में वर्णित तथ्यात्मक मैट्रिक्स को संदर्भित करना पर्याप्त है जो इस प्रकार है:

अपीलकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 श्रीमती सावित्री पांडे के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र के अतिरिक्त सिविल जज (जे.डी.) मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज की। प्रतिवादी का मामला यह था कि अभियुक्त-प्रतिवादी द्वारा उसके पक्ष में जारी किए गए चार चेक भुनाने के लिए प्रस्तुत किए जाने पर अनादरित हो गए थे। चेक के प्रतिवादी-आलेखक को चेक द्वारा कवर की गई राशि का भुगतान करने के लिए बुलाते हुए एक नोटिस जारी किया

गया था और प्रतिवादी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (सी) के तहत आवश्यक रूप से तामील किया गया था। हालांकि, कोई भुगतान 7 अक्टूबर, 2008 तक अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया था।, जब उपरोक्त अधिनियम की धारा 138 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि 23 सितंबर, 2008 को प्रश्नगत नोटिस दिया गया था, 7 अक्टूबर 2008 को प्रस्तुत शिकायत 15 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई थी । मजिस्ट्रेट ने फिर भी 14 अक्टूबर, 2008 को अपराध का संज्ञान लिया और आरोपी को समन जारी किया, जिसने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका में उक्त आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि शिकायत नोटिस की तामील के 15 दिनों के भीतर दर्ज की गई थी, इसलिए यह स्पष्ट रूप से अपरिपक्व थी और ऐसी शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से गलत है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपील में दिए गए अपने आदेश के अनुसार शिकायत और उससे संबंधित संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया।

5. इससे पहले कि हम नरसिंह दास तापड़िया और सारावइन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में इस न्यायालय के दो निर्णयों और उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों पर ध्यान दें, हम एनआई अधिनियम की धारा 138 और 142 का उल्लेख करना उचित समझते हैं। एनआई अधिनियम

की धारा 138, जैसा कि 2002 के अधिनियम 55 द्वारा संशोधन के बाद आज मौजूद है, अपराध की सामग्री और उस अपराध के होने की स्थिति में होने वाली सजा को परिभाषित करती है और इसके साथ जोड़ा गया प्रावधान कुछ अपराध करने के लिये कुछ निश्चित घटनाओं/शर्तो को पूर्ववर्ती बनाता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

138. खाते में धनराशि की कमी आदि के कारण चेक का अनादरण -जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के पास रखे गए खाते पर किसी ऋण या अन्य देनदारी के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए निकाला गया कोई चेक है। बैंक द्वारा बिना भुगतान लौटाए जाने पर, या तो उस खाते में जमा धनराशि चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, ऐसे व्यक्ति को ऐसा करना होगा। अपराध किया हुआ माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास एक अवधि जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो कि राशि के दोगुने तक बढ़ सकता है। चेक, या दोनों के साथ:

बशर्ते कि इस धारा में शामिल कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक-

(ए) चेक को उसके निकाले जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक में प्रस्तुत किया गया है;

(बी) चेक प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक जारी करने वाले को लिखित रूप में एक नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है, भीतर चेक के अवैतनिक रूप में वापस आने के संबंध में बैंक से उसे सूचना प्राप्त होने के तीस दिन बाद; और

(सी) ऐसे चेक का भुगतानकर्ता, जैसा भी मामला हो, उक्त नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के उचित क्रम में प्राप्तकर्ता या धारक को उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व है।

6. धारा 142 अपराधों के संज्ञान से संबंधित है। 2002 के अधिनियम 55 द्वारा संशोधन के बाद उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

142. अपराधों का संज्ञान- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी -

(ए) कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय चेक के प्राप्तकर्ता या, जैसा भी मामला हो, धारक द्वारा की गई लिखित शिकायत पर;

(बी) ऐसी शिकायत धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर की जाती है।

बशर्ते कि किसी शिकायत का संज्ञान निर्धारित अवधि के बाद न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण है।

(सी) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कमतर कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

7. यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि एनआई अधिनियम का संपूर्ण अध्याय XVII 1988 के अधिनियम 66 द्वारा 01.04.1989 से क़ानून में लाया गया था। इस अध्याय में धारा 138 से 147 तक शामिल हैं:

8. उल्लेख के योग्य अन्य दो प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की धारा 2(डी) और 190 हैं। धारा 2(डी) संहिता के संदर्भ में शिकायत को इस प्रकार परिभाषित करती है:

2 (डी) शिकायत" का अर्थ है इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट पर मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया कोई भी

आरोप, कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।

9. संहिता के अध्याय XIV का शीर्षक 'कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें' है। इस अध्याय में केवल एक प्रावधान है, धारा 190। धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा के संज्ञान का प्रावधान करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान.- (1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, और उपधारा (2) के तहत इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है-

(ए) उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं;

(बी) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

(सी) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या अपने स्वयं के ज्ञान पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों की उप-धारा (1) के तहत संज्ञान लेने का अधिकार दे सकता है, जिनकी जांच या कोशिश करना उसकी क्षमता के भीतर है।

10. 'नरसिंह दास तापड़िया' मामले में इस न्यायालय के फैसले से पहले, छह उच्च न्यायालयों को इस सवाल पर विचार करने का अवसर मिला था कि क्या एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत कायम रखने योग्य थी, जब धारा 138 से जुड़े परंतुक के खंड (सी) में दिए गए नोटिस की प्राप्ति की 15 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई थी। इस तरह का पहला निर्णय, 29.07.1992 को राकेश नेमकुमार पोरवाल के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का था। बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने माना कि चूंकि शिकायत आरोपी पर नोटिस की तामील के 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई थी, इसलिए शिकायत एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि कोई अपराध नहीं था। कहा जा सकता है कि शिकायत दर्ज करने की तारीख पर ही अपराध किया गया है। धारा 138 (सी) और धारा 142 (बी) को एक साथ पढ़ते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी अपराध तब तक नहीं किया गया है जब तक कि धारा 138 (सी) के तहत निर्धारित 15 दिनों की अवधि पूरी न हो जाए।

11. बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिया गया उपरोक्त दृष्टिकोण पंजाब एवं हरियाणा (अशोक वर्मा), आंध्र प्रदेश (एन. वेंकट शिवराम प्रसाद), कर्नाटक (अशोक हेगड़े), उड़ीसा (श्री निरंजन साहू) और जम्मू और कश्मीर (मेसर्स हरप्रीत होजरी रेहानी) के उच्च न्यायालयो द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है।

12. अशोक वर्मा के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता आरोपी का तर्क यह था कि एनआई अधिनियम की धारा 138 में चेक जारीकर्ता को स्पष्ट 15 दिन के नोटिस की परिकल्पना की गई थी और समय की गणना की जानी थी। नोटिस की प्राप्ति की तारीख, लेकिन विवादित शिकायत 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई थी और इस आधार पर शिकायत रद्द की जा सकती थी। तर्क से निपटते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राकेश नेमकुमार पोरवाल मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया और धारा 138 के प्रावधानों को इस प्रकार देखा:

उपरोक्त धारा के अवलोकन से पता चलता है कि जहां धारा अपराध के आवश्यक अवयवों और अपराध को अंजाम देने के लिए दी जा सकने वाली सजा को परिभाषित करती है, वहीं धारा का प्रावधान अपराध करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों को निर्धारित करता है। इस परंतुक के अनुसार अपराध की आवश्यक सामग्री यह है कि चेक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया गया था जिस दिन वह चेक किया गया था या उसकी वैधता की अवधि, अपर्याप्तता के कारण चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया था। धनराशि या चेक की राशि बैंक से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक हो गई है और भुगतानकर्ता ने चेक की वापसी के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि का दावा करने वाले चेककर्ता को एक नोटिस दिया और

चेककर्ता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहा। परंतुक के उप-खंड (सी) के तहत चेक जारीकर्ता को भुगतान करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है और जब तक यह अवधि समाप्त नहीं हो जाती और कोई भुगतान नहीं किया जाता, चेककर्ता अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं था।

13. एन वेंकट शिवराम प्रसाद मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या मजिस्ट्रेट विचाराधीन मामले में दी गई शिकायत का संज्ञान ले सकता है और एनआई अधिनियम की धारा 138(सी) के तहत निर्धारित 15 दिनों की समाप्ति के बाद शिकायत की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आया, उसमें यह पहलू शामिल था कि क्या धारा 138 के तहत अपराध केवल तभी पूरा कहा जा सकता है, जब भुगतानकर्ता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा कि धारा 138 के प्रावधान (सी) में विचार किया गया है खंडपीठ ने एनआई अधिनियम की धारा 138 और धारा 142 में निहित प्रावधानों और इसी तरह संहिता की धारा 2 (डी), धारा 2 (एन) और धारा 190 में निहित प्रावधानों पर विचार किया और कहा कि जब तक धारा 138 में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता है, यह अपराध नहीं माना जाएगा। आंध्र प्रदेश

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा: परंतुक (सी) स्पष्ट रूप से

निर्धारित करता है कि धारा तब तक लागू नहीं होती जब तक कि चेक जारीकर्ता उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतानकर्ता को भुगतान करने में विफल नहीं हो जाता। इस प्रकार, प्राप्तकर्ता को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने की स्वतंत्रता दी गई है, भले ही चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया गया हो। इसलिए, धारा 138 के प्रावधान (सी) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि भुगतानकर्ता उसमें निर्दिष्ट 15 दिनों की अवधि के भीतर राशि का भुगतान करता है तो यह कोई अपराध नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में, धारा 138 के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कोई शिकायत नहीं हो सकती थी। भुगतानकर्ता को दी गई गई अपराध पूर्व अवधि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(सी) का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। शिकायत दर्ज होने पर शिकायतकर्ता को धारा 138 के तहत अपराध को इंगित करने में सक्षम होना चाहिए। जब अपराध पूरा होने से पहले ही शिकायत दर्ज की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध हुआ है और इसलिए, ऐसी शिकायत कानून की नजर में अमान्य है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम की धारा 142 के तहत, कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा की गई लिखित शिकायत के। इसलिए, मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम बनाने वाला आवश्यक घटक यह है कि

प्राप्तकर्ता द्वारा लिखित रूप में शिकायत होनी चाहिए और उक्त शिकायत में धारा 138 के तहत अपराध का खुलासा होना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई शिकायत में, किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया जा सका क्योंकि धारा 138 के तहत निर्धारित समय, प्रावधान (सी) मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत प्रस्तुत करने के समय तक समाप्त नहीं हुआ था। समन की तामील की तारीख तक भी, इस आशय की कोई लिखित शिकायत नहीं थी कि परंतुक (सी) में उल्लिखित 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी, भुगतानकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहा।

14. एन. वेंकट शिवराम प्रसाद मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी संहिता की धारा 190 के आलोक में प्रश्न पर विचार किया और निम्नानुसार माना:

> "इस मामले को सीआरपीसी की धारा 190 के प्रावधानों से भी देखा जा सकता है, जहां मजिस्ट्रेट को उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर किसी भी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं। हम पहले ही सीआरपीसी में 'शिकायत' की परिभाषा का उल्लेख कर चुके हैं। इसलिए, अपराध का संज्ञान लेने के लिए, एक शिकायत होनी चाहिए जिसमें ऐसे तथ्य हों जो अपराध

बनते हों। जब तक शिकायत में अपराध का प्रत्यक्ष तौर पर खुलासा नहीं किया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास अपराध का संज्ञान लेने और आगे बढने की कोई क्षमता नहीं हो सकती है। वर्तमान मामले में शिकायत में बताए गए तथ्यों के आधार पर कोई अपराध नहीं हो सकता। चूंकि जिस शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, वह कानून की नजर में कोई शिकायत ही नहीं है, इसलिए ऐसी शिकायत के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। मौजूदा मामले में, मजिस्ट्रेट के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि अपराध शिकायत की तारीख के बाद पूरा हुआ था या नहीं, क्योंकि, जैसा कि पहले ही कहा गया है, धारा 142 (ए) के अनुसार कोई और लिखित शिकायत नहीं थी। अपराध के पूरा होने पर बाद की घटनाओं की जानकारी केवल लिखित शिकायत के माध्यम से ही न्यायालय को हो सकती है। मूल शिकायत के अलावा, जो किसी अपराध का खुलासा नहीं करती, कोई और शिकायत नहीं है। जैसा कि विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने ठीक ही बताया है, जब विशेष कानून न केवल अपराध की सामग्री बल्कि प्रक्रिया को भी निर्दिष्ट करता है, तो आवश्यकताओं का सख्ती से अनुपालन किया

जाना चाहिए। इसलिए, हमारी राय है कि अदालत समय बीत जाने के बाद भी मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती। जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138(सी) द्वारा निर्धारित है।"

इस प्रकार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि मजिस्ट्रेट को समयपूर्व शिकायत पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी जो कानून की नजर में बिल्कुल भी शिकायत नहीं थी।

15. कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अशोक हेगड़े में, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद से निपटते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को एनआई अधिनियम की धारा 138 (बी) के तहत अपेक्षित 15 दिन का समय नहीं दिया है और शिकायत समय से पहले थी और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, एकल न्यायाधीश ने कहा, "...उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि उन्हें 21.09.1989 को नोटिस वापस मिला। यहां तक कि यह स्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने 20.09.1989 को नोटिस से इनकार कर दिया, प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के बाद यह शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। नोटिस जारी होने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है... इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज

करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हुआ था और शिकायत समय से पहले थी...

16. श्री निरंजन साहू मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह भी विचार किया कि यदि शिकायत का मामला धारा 138 के प्रावधान के खंड (सी) में दिए गए 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर किया जाता है, तो धारा 142 के खंड (बी) में प्रावधान दृष्टिकोण में अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है और परिणामस्वरूप शिकायत रद्द होने योग्य थी।

17. मैसर्स हरप्रीत होजरी रेहान में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि कानून के तहत भुगतानकर्ता को चेक अनादर की सूचना प्राप्त होने से भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। इसके बाद ही दोषी पक्ष के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

18. विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के बाद ही नरसिंह दास तापड़िया मामले में इस न्यायालय का निर्णय आया। नरसिंह दास तापड़िया मामले में, जिसका फैसला 06.09.2000 को हुआ था, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने तथ्यों को इस प्रकार नोट किया:

..... कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से 2,30,000 रुपये की राशि उधार ली और उसके पक्ष में एक पोस्ट-डेटेड चेक जारी किया। जब चेक 3-10-1994 को मांग के लिए प्रस्तुत किया गया, तो उसे "अपर्याप्त धनराशि" के

कारण 6-10-1994 को बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। अपीलकर्ता ने 7-10-1994 और 17-10-1994 को भेजे गए टेलीग्राम के माध्यम से आरोपी से राशि चुकाने की मांग की। प्रतिवादी को 19-10-1994 को राशि चुकाने की मांग करते हुए एक नोटिस भी जारी किया गया था। 26-10-1994 को नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादी ने न तो राशि का भुगतान किया और न ही कोई उत्तर दिया। अपने मामले को साबित करने के लिए, अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता ने तीन गवाहों को परीक्षित कराया और दस्तावेजों पी-1 से पी-6 को साबित किया। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में प्रतिवादी ने आरोपो से इनकार किया और लेकिन किसी भी बचाव साक्ष्य का नेतृत्व करने से इनकार कर दिया। साक्ष्यों के विश्लेषण और पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

> "शिकायतकर्ता ने स्थापित कियाकि आरोपीने उससे 2,30,000 रूपये उधार लिये थे और आरोपी नेतकर्ता ने स्थापित किया कि आरोपी ने उससे 2,30000 रुपये उधार लिए थे और आरोपी ने प्रदर्श पी-3, चेक जारी किया था और चेक धन की कमी के कारण वापस आ गया था और आरोपी ने नोटिस प्राप्त होने के बावजूद राशि नहीं चुकाई और इसलिए आरोपी एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है।"

जैसा कि पहले देखा गया, प्रतिवादी द्वारा दायर अपील 19-4-1997 को खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि चेक अनादरण की सूचना देने वाला नोटिस 26-10-1994 को आरोपी को दिया गया था, अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता 15 दिन की अवधि समाप्त होने तक शिकायत दर्ज नहीं कर सका। तथ्यों पर पाया गया कि दिनांक 8-11-1994 को दायर शिकायत में कुछ खामियां पाये जाने पर उसे वापस कर दिया गया था। हालाँकि, जब पुनः दाखिल किया गया, तो न्यायालय ने 17-11-1994 को संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने माना कि 8-11-1994 को दायर की गई मूल शिकायत समय से पहले थी और खारिज किए जाने योग्य थी।

19. नरसिंह दास तापड़िया मामले में इस न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 138 और धारा 142 के परंतुक के खंड (सी) में निहित प्रावधानों पर विचार किया और "अपराध का संज्ञान लेने" की अभिव्यक्ति पर भी विचार किया और माना कि केवल शिकायत की दिनांक 08.11.1994 को प्रस्तुतिकरण जब शिकायतकर्ता को इस आधार पर वापस कर दी गई कि सत्यापन पर वकील द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, तो इसे एनआई अधिनियम की धारा 142 के अर्थ में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को मंजूरी नहीं दी और माना कि उच्च न्यायालय ने गलती से शिकायत को समय से पहले मान लिया। नतीजतन, उच्च

न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रतिवादी की सजा को बरकरार रखा गया।

20. 'नरसिंह दास तापड़िया' मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद, अरुण हेगड़े मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि मांग नोटिस की सेवा के 15 वें दिन धारा 138 के तहत दायर की गई शिकायत समय से पहले थी और इस तरह से पोषणीय नहीं थी। नरसिंह दास तापड़िया पर भरोसा करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अरुण हेगड़े में कहा कि यदि शिकायत समय से पहले पाई जाती है, तो यह परिपक्वता की प्रतीक्षा कर सकती है या बाद में दाखिल करने के लिए शिकायतकर्ता को वापस कर दी जा सकती है और इसकी प्रस्तुति केवल पहले की तारीख में की जा सकती है। यह जरूरी नहीं है कि शिकायत को खारिज किया जाए या आरोपी को किए गए अपराध के लिए आपराधिक दायित्व से खुद को मुक्त करने का कोई अधिकार दिया जाए।

21. हेम लता गुप्ता मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत से निपटते हुए, नरसिंह दास तापड़िया मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि नोटिस तामील की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति सीमा संज्ञान लेने के लिये है न कि शिकायत दर्ज करने के लिए।

22. महेंद्र अग्रवाल मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने नरसिंह दास तापड़िया मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को अपनाया और माना कि अदालत में शिकायत की प्रस्तुति मात्र का मतलब यह नहीं माना जा सकता है कि इसका संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया था। यदि शिकायत समय से पहले पाई जाती है, तो इसे परिपक्वता की प्रतीक्षा की जा सकती है या बाद में दाखिल करने के लिए शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जा सकता है और इसे पहले की तारीख में प्रस्तुत करने मात्र से जरूरी नहीं कि शिकायत खारिज कर दी जाए या आरोपी को खुद के किए गए अपराध के लिए आपराधिक दायित्व से दोषमुक्त करने का कोई अधिकार दे दिया जाए।

23. बापूलाल बी.कच्ची में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले को सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ माना, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसके तहत उन्होंने आरोपी के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह 15 के बाद से समय से पहले पाया गया था। अभियुक्त को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से कुछ दिन भी नहीं बीते थे। सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण से संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नरसिंह दास तापड़िया मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन किया और माना कि

शिकायत को खारिज करने में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश गलत था और पुनरीक्षण अदालत द्वारा उस आदेश को सही तरीके से खारिज कर दिया गया था।

24. गौहाटी उच्च न्यायालय ने यूनुस खान के मामले में नरसिंह दास तापड़िया पर भरोसा करते हुए यह विचार किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत प्रस्तुत करने मात्र का मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने उस पर संज्ञान ले लिया है। हालाँकि शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर की गई थी, जब नोटिस प्राप्त होने की तारीख से केवल 13 दिन बीत चुके थे और 15 दिनों की अपेक्षित अवधि अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन बीत चुके थे और इस प्रकार शिकायत पहले से ही वैध थी और ऐसी शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को कानून की दृष्टि से बुरा नहीं ठहराया जा सकता है।

25. जेनिथ फैशन मेकर्स में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न मामले से संबंधित थे:

प्रतिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दो चेक संख्या 615385 दिनांक 20.7.2003 रूपये 8,00,000/- का और नंबर 615387 दिनाक 20.9.2003 रूपये 3,00,000/- के अनादरण के लिए

शिकायत दर्ज की गई थी। क 615387 दिनांक 20.9.2003 रु.3,धन की कमी के कारण दोनों चेक बाउंस हो गए। बैंक का रिटर्न मेमो दिनांक 20.9.2003 है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस 15.10.2003 को रजि. पोस्ट के साथ-साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जारी किया गया था। डाक पावती कार्ड 18.10.2003 को सेवा दर्शाता है। शिकायतकर्ता ने दलील दी कि नोटिस विधिवत प्राप्त हुए थे, लेकिन नोटिस के 15 दिनों के भीतर अस्वीकृत चेक के संबंध में कोई भुगतान नहीं किया गया था, जैसा कि कानून के साथ-साथ नोटिस के लिए भी आवश्यक था। शिकायत दिनांक 31.10.2003 को प्रस्तुत की गई है। मजिस्ट्रेट ने 31.10.2003 को ही संज्ञान लिया और उसी दिन प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस याचिका में क्या तर्क दिया गया है? यह है कि मांग का नोटिस 15.10.2003 का है, जो 17.10.2003 को भेजा गया और 18.10.2003 को प्राप्त हुआ, शिकायत नोटिस की सेवा के 15 दिनों के भीतर दर्ज की गई थी और इसलिए यह समय से पहले थी क्योंकि वाद की कार्रवाई का कारण केवल नोटिस के 15 दिन के बाद, यानी 3.11.2003 को उत्पन्न हो सकता था।

इस तथ्य के बावजूद कि शिकायत नोटिस की सेवा के 15 दिनों की समाप्ति से पहले प्रस्तुत की गई थी और मजिस्ट्रेट ने 15 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान भी लिया था, उच्च न्यायालय ने अजीब तरह से कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत समय पूर्व शिकायत

को समय से पहले परिपक्वता के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियुक्त की ओर से कोई दलील नहीं दी गई थी कि अगर शिकायतकर्ता ने आवश्यक समय दिया होता तो उसने चेक राशि का भुगतान कर दिया होता। ऐसा करते समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नरसिंह दास तापड़िया मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और 'एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवबिट' की कहावत का भी इस्तेमाल किया, न्यायालय का एक कार्य किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

26. गंगा राम सिंघिस के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि यदि शिकायत एन आई अधिनियम की धारा 138 के तहत प्राविधिक नोटिस की 15 दिनो की समाप्ति से पहले दायर की गई थी, तो संबंधित न्यायालय को इंतजार करना चाहिए था और शिकायतकर्ता को अपना मामला स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए थी या शिकायत को समय से पहले खारिज करने के बजाय निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद संज्ञान लेना चाहिए था।

27. मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने, नरसिंह दास तापड़िया के बाद, यह माना कि यद्यपि शिकायत को आरोपी द्वारा बकाया राशि का निपटान करने के लिए प्राप्त समय से तीन दिन कम समय दिया गया था, लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट ने प्रस्तुत शिकायत पर संज्ञान ले लिया था। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को देय राशि का निपटान करने के

लिए वैधानिक नोटिस के तहत दिए गए 15 दिनों के समय के बाद, शिकायत को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि यह समय से पहले दायर की गई थी।

28. एस. जनक सिंह मामले में, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कार्रवाई के कारण के संचय से पहले शिकायत की प्रस्तुति के संबंध में यह विचार रखा कि यद्यपि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत वाद कारण के संचय से पहले दायर की गई है, उस पर ट्रायल कोर्ट द्वारा कानूनी रूप से विचार नहीं किया जा सकता है। नरसिंह दास तापड़िया पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि यदि शिकायत समय से पहले पाई जाती है, तो इसे परिपक्वता का इंतजार किया जा सकता है या बाद में दाखिल करने के लिए शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जा सकता है और इसे पहले की तारीख में प्रस्तुत करने मात्र से जरूरी नहीं कि शिकायत को खारिज कर दिया जाए या आरोपी को किए गए अपराध के लिए आपराधिक दायित्व से मुक्त होने का कोई अधिकार दे दिया जाए। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण नरसिंह दास तापड़िया मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आधारित है।

29. नरसिंह दास तापड़िया मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद से लगभग 7 वर्षों तक, विभिन्न उच्च न्यायालय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह विचार करते रहे कि एनआई अधिनियम की

धारा 138 के तहत शिकायत की प्रस्तुति वादकारण उत्पन्न होने के पहले इसे पोषणीय नहीं बनाता है, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस की अवधि के 15 दिनों की समाप्ति के बाद संज्ञान लिया गया था। ऐसे मामलों में, ऐसी शिकायत पर संज्ञान लेने में मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं पाया गया है। हालाँकि, इस कानूनी स्थिति को साराव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रावधान से निपटते हुए, इस न्यायालय ने माना कि धारा 138 में दंडात्मक प्रावधान शामिल है; यह एक विशेष क़ानून था. उक्त प्रावधान के आशय को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक गंभीर दंड का प्रावधान करता है, प्रावधान एक सख्त निर्माण की गारंटी देता है। इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 138 के प्रावधान के खंड (सी) में प्रावधान है कि चेक धारक को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, नोटिस की तामील के 15 दिन बाद ही चेक अदाकर्ता द्वारा किए गए अपराध के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। साराव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में, इस प्रकार, इस न्यायालय ने माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 प्रावधान (बी) के संदर्भ में नोटिस की सेवा शिकायत दर्ज करने और आरोपी को इस तथ्य के बारे में संचार करने के लिए कार्रवाई का एक हिस्सा थी। चेक का अनादर

होना और 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए उसे बुलाना अनिवार्य था। यह सच है कि सारावइन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में, नरसिंह दास तापड़िया[1] में इस न्यायालय के फैसले का कोई संदर्भ नहीं है।

30. सारावइन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के कारण उच्च न्यायालयों द्वारा यह विचार किया गया कि नोटिस की सेवा के 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत समय से पहले थी और ऐसी शिकायत को कानून की नजर शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता और शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। इसे संदीप गुहा मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय और रतन चंद मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले से देखा जा सकता है।

31. एनआई अधिनियम की धारा 138 में मुख्य प्रावधान शामिल है जो अपराध की सामग्री और ऐसे अपराध होने की स्थिति में होने वाली सजा को परिभाषित करता है। इस धारा के साथ एक परंतुक भी जुड़ा हुआ है जिसमें तीन खंड हैं, अर्थात, (ए), (बी) और (सी)। धारा 138 के तहत अपराध केवल परंतुक के खंड (ए), (बी) और (सी) में निहित घटनाओं की पूर्ति पर प्रभावी होता है। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी अपराध को पूरा करने के लिए न केवल प्रावधान के मुख्य भाग में

निर्धारित अपराध की सामग्री की संतुष्टि आवश्यक है, बल्कि यह भी जरूरी है कि खंड (ए) में उल्लिखित सभी तीन घटनाएं (ए) (बी) और (सी) संतुष्ट हैं। केवल चेक जारी करना और उसका अनादरण धारा 138 के तहत अपने आप में कोई अपराध नहीं माना जाएगा।

32. एनआई अधिनियम की धारा 138 का विश्लेषण इस न्यायालय द्वारा कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड में किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों को संतुष्ट करना आवश्यक है:

(1) किसी व्यक्ति ने किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बैंक में उसके द्वारा रखे गए खाते पर एक चेक निकाला होगा;

(ii) कि वह चेक बैंक में उसके निकाले जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया हो,

(iii) कि वह चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है, क्योंकि या तो खाते में जमा धनराशि चेक का भुगतान करने के लिए

अपर्याप्त है या वह चेक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है।

(iv) चेक प्राप्तकर्ता या धारक, बैंक से सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, चेक जारीकर्ता को लिखित रूप में एक नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की चेक के भुगतान न होने के संबंध में मांग करता है।

(v) ऐसे चेक का भुगतानकर्ता उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर चेक के प्राप्तकर्ता या धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

33. हम उपरोक्त विश्लेषण से सहमत हैं।

34. के.आर. इंदिरा में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध पूरा किया जा सकता है यदि उपरोक्त सभी घटक संतुष्ट हों।

35. जहां तक वर्तमान संदर्भ का सवाल है, बहस मोटे तौर पर एनआई अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के खंड (सी) के आसपास केंद्रित है। परंतुक के खंड (सी) की आवश्यकता यह है कि चेक जारी करने वाला नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता को चेक राशि का भुगतान करने में विफल रहा होना चाहिये। परंतुक का खंड (सी) चेक

अनादर पर चेक राशि का भुगतान करने के लिए चेक जारीकर्ता को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से कुल 15 दिनों की अवधि प्रदान करता है।

36. क्या एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कोई अपराध तब किया गया कहा जा सकता है जब परंतुक के खंड (सी) में प्रदान की गई अवधि समाप्त नहीं हुई है? संहिता की धारा 2(डी) 'शिकायत' को परिभाषित करती है। इस परिभाषा के अनुसार, "शिकायत का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट पर मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया कोई भी आरोप है, जिसने अपराध किया है। अपराध का किया जाना अनिवार्य शर्त है, शिकायत प्रस्तुत करने के लिये और ऐसे अपराध के लिये संज्ञान लेने के लिये।" परंतुक के खंड (सी) में निहित प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए कोई भी शिकायत तब तक दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि 15 दिन की अवधि समाप्त न हो जाए। नोटिस जारी करने वाले/अभियुक्त को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले कोई भी शिकायत कानून की नजर में कोई शिकायत नहीं है। यह उस शिकायत की समयपूर्वता का सवाल नहीं है जहां उसे नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दायर किया गया है, यह कानून के तहत कोई शिकायत नहीं है। वास्तव में, एनआई अधिनियम की धारा 142, अन्य बातों के साथ-साथ, लिखित शिकायत को छोड़कर धारा 138 के तहत किसी अपराध

का संज्ञान लेने से न्यायालय पर कानूनी रोक लगाती है। चूंकि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत नोटिस जारी करने वाले/अभियुक्त को नोटिस दिए जाने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत कानून की नजर में कोई शिकायत नहीं है, जाहिर है, ऐसी शिकायत के आधार पर किसी अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है केवल इसलिए कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के समय, उस तारीख से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है जिस दिन नोटिस जारीकर्ता/अभियुक्त को दिया गया था, न्यायालय को इस धारा 138 के तहत चेक जारीकर्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है।

37. उस तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत, जिस दिन आहर्ता/अभियुक्त को नोटिस दिया गया है, धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के संदर्भ में कार्रवाई के कारण का खुलासा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है और ऐसी शिकायत पर जो कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, न्यायालय संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है। धारा 138 का एक संयुक्त पाठ, जो परिभाषित करता है कि कब और किन परिस्थितियों में कोई अपराध किया गया कहा जा सकता है, एनआई अधिनियम की धारा 142 (बी) के साथ, जो उस समय की स्थिति को दोहराता है जब अपराध का कारण कार्रवाई उत्पन्न हो गई है, इसमें कोई

संदेह नहीं है कि कोई भी अपराध तब तक नहीं किया गया कहा जा सकता है जब तक कि धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत निर्धारित 15 दिनों की अवधि वास्तव में समाप्त न हो जाए। इसलिए, कानूनन किसी न्यायालय को ऐसे परिवाद पर संज्ञान लेने से रोक दिया गया है। ऐसी किसी शिकायत पर केवल इसलिए संज्ञान लेना/संज्ञान लेना न्यायालय के लिए खुला नहीं है क्योंकि उस पर विचार करने या संज्ञान लेने की तारीख को, जिस तारीख को नोटिस जारीकर्ता/अभियुक्त को दिया गया है, 15 दिन की अवधि बीत चुकी है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 की सभी पांच आवश्यक विशेषताएं, जैसा कि कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड 10 में इस न्यायालय के फैसले में उल्लेख किया गया है और जिसे हमने मंजूरी दे दी है, धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए संतुष्ट होना चाहिए। यदि धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) में निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कोई अपराध नहीं हुआ है और न ही कार्रवाई का कारण बनता है।

38. इसलिए, हम 'नरसिंह दास तापड़िया' मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण और नरसिंह दास तापड़िया के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की भी पुष्टि नहीं करते हैं कि यदि धारा 138 के तहत शिकायत तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दायर की जाती है, जिस पर आहर्ता/अभियुक्त को नोटिस भेजा गया है, वह अपरिपक्व है

और यदि संज्ञान लेने की तिथि पर आहर्ता/अभियुक्त को नोटिस की तामील की तारीख से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है, तो ऐसी शिकायत कानूनी रूप से पोषणीय थी और, इसलिए, इसे खारिज कर दिया गया है।

39. बल्कि, इस न्यायालय द्वारा साराव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में लिया गया दृष्टिकोण जिसमें इस न्यायालय ने माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 प्रावधान (बी) के संदर्भ में नोटिस की सेवा शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा थी और चेक अनादरित होने के तथ्य के बारे में अभियुक्त को सूचित करना और 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहना अनिवार्य था, यह हमारे लिए स्वयं ही सराहनीय है। जैसा कि हमने पहले देखा है, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले चेक जारीकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि चेक जारीकर्ता/आरोपी के बारे में तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई अपराध किया है। हम साराव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में इस न्यायालय के फैसले और उच्च न्यायालयों के फैसले भी, जिन्होंने इस फैसले के बाद यह विचार किया कि नोटिस की सेवा के 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत को कानून की नजर में शिकायत नहीं माना जा सकता है। ऐसी शिकायत पर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

40. इसलिए, प्रश्न (1) का हमारा उत्तर नकारात्मक है।

41. दूसरा प्रश्न यह है कि यदि प्रश्न (1) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या शिकायतकर्ता को इस तथ्य के बावजूद कि धारा 142(बी) के तहत ऐसी शिकायत प्रस्तुत करने के एक महीने की अवधि निर्धारित है, समाप्त हो गई है, फिर से शिकायत प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

42. एनआई अधिनियम की धारा 142 वह तरीका और समय निर्धारित करती है जिसके भीतर एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की शिकायत दर्ज की जा सकती है। चेक प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा धारा 138 के तहत की गई शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए और उस तारीख से एक महीने के भीतर की जानी चाहिए, जिस पर धारा 138 प्रावधान के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। धारा 142 (बी) के तहत एक महीने की अवधि उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। हालांकि, अगर शिकायतकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण होने पर, निर्धारित अवधि के बाद न्यायालय द्वारा शिकायत पर कार्रवाई की जा सकती है। अब, चूँकि प्रश्न (1) का हमारा उत्तर नकारात्मक है, हम मानते हैं कि चेक प्राप्तकर्ता या धारक आपराधिक मामले में निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर एक नई

शिकायत दर्ज कर सकता है और, घटना, शिकायत दर्ज करने में देरी को एनआई अधिनियम की धारा 142 के खंड (बी) के प्रावधान के तहत माफ किया गया माना जाएगा। यह निर्देश ऐसे सभी लंबित मामलों पर लागू माना जाएगा जहां प्रश्न (i) के हमारे उत्तर के मद्देनजर शिकायत आगे नहीं बढ़ती है। जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं कि धारा 138 के प्रावधान के खंड (सी) के तहत नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत पोषणीय नहीं है, शिकायतकर्ता को उसी शिकायत को बाद के किसी भी चरण में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसका उपाय केवल एक नई शिकायत दर्ज करना है; और यदि उसे धारा 142(बी) के तहत निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं किया जा सका, तो उसका सहारा न्यायालय को पर्याप्त कारण से संतुष्ट करते हुए प्रावधान का लाभ लेना है। प्रश्न (ii) का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

43. आपराधिक अपीलें अब नियमित पीठ द्वारा विचार के लिए सूचीबद्ध की जा सकती हैं।

निधि जैन

नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाने वाली अपीलें।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।